भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 51A/2018-19

कुँवर हेम्ब्रम **बनाम** शकुंतला बानसिंह

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
30-08-18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 1258 दिनांक 17.07.18 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 51A/2018–19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता कुँवर हेम्ब्रम पिता स्व प्रधान हेम्ब्रम, ग्राम–पोड़ाडीह, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता शकुंतला बानसिंह, पिता स्व0 संजय बानसिंह, ग्राम–निलमोहनपुर, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
पोड़ाडीह	259	45	170	10डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिताजी एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने पिता के मृत्यु के पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। जिसमें से 10डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.73 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'हो' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 10डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सरायकेला।